बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-....49/ऑ1-1783 दिनांक 09 जनवरी 2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
RPwD द्वारा निबंधित संस्थान/होम/संस्था (सरकारी/गैरसरकारी),
सभी डी0पी0ओ0 (**Disabled Persons Organisation**), बिहार
सभी दिव्यांग अभिभावक संगठन (राष्ट्रीय न्यास दिव्यांग), बिहार

विषय :- **माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के संकल्पित आह्वान पर दिनांक-19.01.2020 को जल जीवन हरियाली और नशा-मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए बनने वाली मानव श्रृंखला की सफलता में दिव्यांगजनों की अधिकाधिक सोद्देश्यपूर्ण भागीदारी के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या-32/आ0नि0को0 दिनांक-06.01.2020 आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के संकल्पित आह्वान पर दिनांक-19.01.2020 को जल जीवन हरियाली और नशा-मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए बनने वाली मानव श्रृंखला कार्यक्रम के उद्देश्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व इसे अपने जीवन में अंगीकरण हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का साधन है। मानव श्रृंखला के उद्देश्य अन्तर्गत समाहित पर्यावरण की रक्षा एवं समाज सुधार के व्यापक हित से जुड़े उपरोक्त अभियान/कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए विविध कारणों यथा उनके विपरित परिस्थितियों में सहज प्रभावित होने, सामान्य आर्थिक पिछड़ेपन इत्यादि की वजह से विशेष हित साधक बन जाते हैं। तदनुरूप अपेक्षित है कि इस मानव श्रृंखला में दिव्यांगजनों की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा विगत दो-तीन वर्षों के दौरान किए गए विविध कार्य जिसके अन्तर्गत जिलावार समीक्षात्मक बैठक-सह-चलंत न्यायालय तथा प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह का गठन एवं इन समूहों को क्षमता संवर्द्धन (**Capacity Building**) हेतु कार्यशाला का आयोजन इत्यादि कार्य विषयक संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। कार्यालय द्वारा गठित उक्त दिव्यांगजन समूहों के माध्यम से मानव श्रृंखला के सफल आयोजन में दिव्यांगों की रिकोर्ड भागीदारी तथा इसके माध्यम से दिव्यांगजनों के हित साधन के परस्पर प्रतिपूरक उद्देश्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में करीब 23 लाख दिव्यांगजन हैं। वर्त्तमान प्रवृत्त अधिनियम,2016 के अन्तर्गत दिव्यांगता की कोटियों में वृद्धि (पूर्व की 7 कोटियों के स्थान पर 21 कोटियाँ) के फलस्वरूप यह जनसंख्या लगभग 50 लाख अनुमानित है। राज्य के 8471 पंचायतों, 534 प्रखण्डों एवं 38 जिलों में गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह एवं प्रत्येक समूह के प्रभाव क्षेत्र में शामिल बहुसंख्यक दिव्यांगजनों के सामान्य आकलन अनुसार इस मानव श्रृंखला में लगभग आठ से दस लाख दिव्यांगजनों की भागीदारी सीधे राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूहों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ विविध स्तरीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों विशेषकर मानव श्रृंखला के आयोजन से जुड़े नोडल पदाधिकारियों को उपरोक्त अनुरूप, जिसका विस्तृत उल्लेख संलग्न परिपत्र में किया गया है, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पित आह्वान पर दिनांक-19.01.2020 को बनने वाली मानव श्रृंखला में प्रत्याशित रिकोर्ड भागीदारी में दिव्यांगजनों की भी रिकोर्ड भागीदारी हो सके व जिससे कि सामाजिक व आर्थिक विकास में दिव्यांगजनों की भागीदारी का प्रतिदर्श स्थापित हो सके।

साथ ही अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई व प्राप्त सफलता के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करने हेतु भी निदेशित करने की कृपा की जाए जिसके आधार पर भविष्य के समरूप आयोजनों हेतु परस्पर मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके।

विश्वासभाजन
09/01/20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव के आप्त सचिव की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के आप्त सचिव की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला के सहायक निदेशक-नोडल पदाधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से अनुरोध है कि सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/ पर्षदों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला के अनुमण्डल विकास पदाधिकारी से अनुरोध है कि सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अनुरोध है कि सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला स्तर पर गठित जिला अध्यक्ष दिव्यांगजन/सभी प्रखण्ड स्तर पर गठित प्रखण्ड अध्यक्ष दिव्यांगजन एवं सभी पंचायत स्तर पर गठित पंचायत अध्यक्ष दिव्यांगजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-49/आ.नि.श. दिनांक-09 जनवरी'2020

प्रतिलिपि:-सभी दिव्यांगजनों को आम सूचना के रूप में दिनांक-19.01.2020 को बनने वाली मानव श्रृंखला में अपनी अभूतपूर्व भागीदारी सुनिश्चित कर परस्पर हितकारी इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 32/आ.।नि.।21 दिनांक 06 जनवरी'2020

महत्वपूर्ण परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के संकल्पित आहवान पर दिनांक-19.01.2020 को जल जीवन हरियाली और नशा-मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए बनने वाली मानव श्रृंखला की सफलता में दिव्यांगजनों की अधिकाधिक सोद्देश्यपूर्ण भागीदारी के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के संकल्पित आहवान पर दिनांक-19.01.2020 को जल जीवन हरियाली और नशा-मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए बिहार राज्य के लोग रिकोर्ड मानव श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण की रक्षा एवं समाज सुधार के लक्ष्य के प्रति केन्द्रित यह मानव श्रृंखला जन सामान्य के बीच कार्यक्रम के उद्देश्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उसे अपने जीवन में अंगीकृत करने हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का साधन है।

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत समाहित मिशन मोड में पूरा किये जाने वाले 11 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न संकट से लोगों को मुक्त कराना है। इस अभियान का मकसद जल का संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है ताकि राज्य गिरते औसतन वर्षापात एवं गिरते भू-जल स्तर के कारण निकट भविष्य में होने वाले संकटों से सफलतापूर्वक निजात पा सके। नशा-मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन व्यापक सामाजिक सुधार से जुड़ा कार्यक्रम हैं। नशा-मुक्ति के अन्तर्गत समाहित राज्य में प्रभावी पूर्ण शराबबन्दी ने समाज के हरेक तबके विशेषकर गरीबों एवं महिलाओं को प्रत्यक्ष संबल प्रदान किया है। बाल विवाह उन्मूलन प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु एवं विविध जन्मजात रोगग्रस्त बच्चों की संख्या कम करने में प्रभावपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दहेज प्रथा उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। 21 जनवरी 2017 को शराबबन्दी के पक्ष में आयोजित मानव श्रृंखला में चार करोड़ लोगों की भागीदारी तथा 21 जनवरी 2018 को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ रिकोर्ड 14 हजार किलोमीटर लम्बी मानव श्रृंखला इन सुधारात्मक प्रयासों के प्रति राज्य के लोगों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसी क्रम में 19 जनवरी 2020 के लिए आहवानित मानव श्रृंखला का लक्ष्य, आपसी प्रेम, भाईचारा एवं सद्भाव का माहौल कायम रखते हुए पृथ्वी के संरक्षण और अपने जीवन की रक्षा के लिए मिलकर काम करना है।

पर्यावरण की रक्षा एवं समाज सुधार के व्यापक हित हेतु लक्षित एवं सफल आयोजन हेतु समाज के प्रत्येक स्तर की भागीदारी के प्रति आशान्वित उक्त मानव श्रृंखला में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य सरकार के पूर्ण सामाजिक समावेशन की नीति के अंगीकरण हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली अभियान यू तो सम्पूर्ण मानव के अस्तित्व रक्षा हेतु अनिवार्य है, पर दिव्यांगजनों की विपरीत परिस्थितियों में सहजता से प्रभावित होने के कारण उनके कल्याण हेतु और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नशा-मुक्ति एवं दहेज उन्मूलन कार्यक्रम का सफल आयोजन दिव्यांगजनों के सामान्य आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से उनके लिए अधिक हितकर है। इसी प्रकार बाल विवाह उन्मूलन दवारा हम जन्मजात रोगग्रस्त बालकों व तदनूरूप दिव्यांगताग्रस्त बच्चों की संख्या में प्रभावी कमी कर सकते हैं। इस प्रकार मानव श्रृंखला के आयोजन के अन्तर्गत समाहित अभियान व कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए विशेष हित साधक है। अपेक्षित है कि इस मानव श्रृंखला में दिव्यांगजन की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय दवारा अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के अनुरूप विशेषकर विगत दो से तीन वर्ष के दौरान किये गये आयोजनों, समीक्षात्मक बैठकों, कार्यशालाओं एवं जागरूकता प्रसार कार्यक्रमों के तहत गठित दिव्यांगजन समूह एवं दिव्यांगजनों के बीच प्रसारित आर्थिक एवं सामाजिक जन चेतना उक्त आयोजन के सफल निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय दवारा राज्य के अन्तर्गत जिलावार आयोजित चलंत न्यायालय-सह-क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े राज्य दवारा संचालित कार्यक्रम से सम्बन्धित समीक्षात्मक

क्र0पृ030............

बैठक में दिव्यांगों के सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन के लक्ष्य के प्रति कार्यपालक पदाधिकारियों को संवेदित किया गया है, जिसके फलस्वरूप वे कार्यक्रम अपने उद्देश्य की पूर्ति में अधिक सफल हो सके हैं व दिव्यांगजन भी राज्य के विकास में अपनी भागीदारी कर पा रहे हैं। इसी प्रकार राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत अधिनियम,2016 की धारा-72 के प्रावधान अनुरूप प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह यथा (क) पंचायत स्तर के दिव्यांगजन समूह (ख) प्रखण्ड स्तर के दिव्यांगजन समूह एवं (ग) जिला स्तर के दिव्यांगजन समूह के गठन की व्यापक कार्रवाई की गई है ताकि दिव्यांगजन स्वयं एवं सामूहिक जीवन स्तर में वृद्धि के साथ ही राज्य की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में अपनी भागीदारी निभा सके। विविध स्तर पर गठित यह दिव्यांगजन समूह दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत/प्रयासरत करने एवं सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक व सामाजिक संवृद्धि प्राप्त करने का सशक्त साधन बन गए हैं।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा विगत 29 एवं 30 नवम्बर'2019 को राज्य के समस्त जिलों के जिला स्तरीय दिव्यांगजन समूह के प्रतिनिधि एवं प्रत्येक जिले के पाँच प्रखण्डों के प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला **(Workshop for Capacity Building)** के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को उन कार्यक्रमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं व्यावहारिक पहलूओं की जानकारी प्रदान की गई, जिससे कि दिव्यांगजन अपनी आर्थिक व सामाजिक संवृद्धि के साथ सम्पूर्ण राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदार हो सकते हैं। इसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-5 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रावधानित सामुदायिक जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का भी राज्य अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के संकल्पित आह्वान पर दिनांक-19.01.2020 को जल जीवन हरियाली और नशा-मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए बनने वाली व्यापक हित साधक मानव श्रृंखला व इसमें शामिल आयोजन/ कार्यक्रमों की दिव्यांगजनों के आर्थिक व सामाजिक समावेशन हेतु विशेष महत्ता के उपरोक्त वर्णित आलोक में इस मानव श्रृंखला में दिव्यांगजन की व्यापक स्तर पर भागीदारी परस्पर प्रतिपूरक है।

इस कार्य में राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास विशेषकर अधिनियम,2016 की धारा-72 के प्रावधान अनुरूप प्रत्येक जिले में गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह तथा दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला के दौरान प्रदत्त जानकारी उक्त परस्पर हित साधक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में करीब 23 लाख दिव्यांगजन हैं। वर्त्तमान प्रवृत्त अधिनियम,2016 के अन्तर्गत दिव्यांगता की कोटियों में वृद्धि (पूर्व की 7 कोटियों के स्थान पर 21 कोटियाँ) के फलस्वरूप यह जनसंख्या लगभग 50 लाख अनुमानित है। राज्य के 8471 पंचायतों, 534 प्रखण्डों एवं 38 जिलों में गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह एवं प्रत्येक समूह के प्रभाव क्षेत्र में शामिल बहुसंख्यक दिव्यांगजनों के सामान्य आकलन अनुसार इस मानव श्रृंखला में लगभग आठ से दस लाख दिव्यांगजनों की भागीदारी सीधे राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूहों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है।

इस संबंध में यथोचित स्तर पर लक्षित प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

26.01.20

(डॉ0 शिवाजी कुमार)
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

डॉ. शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता
बिहार, पटना